परिसर अध्ययन

(भाग १)

चौथी कक्षा

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शिक्षा विभाग का स्वीकृति क्रमांक :
प्राशिसं/२०१३-१४/६९००/मंजूरी/ड-५०५ दिनांक ०२.०५.२०१४

परिसर अध्ययन
(भाग १)

चौथी कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-४११००४

HPMHE5

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R.Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R.Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ।

प्रथमावृत्ति : २०१४ © **महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११००४**

सातवाँ पुनर्मुद्रण : २०२१

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है । इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता ।

शास्त्र विषय समिति :
- **डॉ. रंजन केळकर, अध्यक्ष**
- डॉ. विद्याधर बोरकर, सदस्य
- श्रीमती मृणालिनी देसाई, सदस्य
- डॉ. दिलीप रा. पाटील, सदस्य
- श्री अतुल देऊळगावकर, सदस्य
- डॉ. बाळ फोंडके, सदस्य
- श्रीमती विनिता तामणे, सदस्य-सचिव

भूगोल विषय समिति :
- **डॉ. एन. जे. पवार, अध्यक्ष**
- डॉ. मेधा खोले, सदस्य
- डॉ. इनामदार इरफान अजिज, सदस्य
- श्री अभिजित घोरपडे, सदस्य
- श्री सुशीलकुमार तिर्थकर, सदस्य
- श्रीमती कल्पना माने, सदस्य
- श्री रविकिरण जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिकशास्त्र विषय समिति :
- **डॉ. यशवंत सुमंत, अध्यक्ष**
- डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सदस्य
- डॉ. उत्तरा सहस्रबुद्धे, सदस्य
- श्री अरुण ठाकूर, सदस्य
- श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
- श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

मानचित्रकार : श्री रविकिरण जाधव

अक्षरांकन : समृद्धी, पुणे

मुखपृष्ठ : श्री निलेश जाधव

कागज : ७० जी.एस.एम. क्रीमवोव

चित्र एवं सजावट : श्री निलेश जाधव, श्री दीपक संकपाळ, श्री मुकीम तांबोळी, श्री संजय शितोळे, श्री विवेकानंद पाटील, रुपेश घरत

मुद्रणादेश : एन् /पिबी/२०२१-२२/(१,००० प्रती)

मुद्रक : मे. शार्प इंडस्ट्रीज, रायगड

संयोजक

श्रीमती विनिता तामणे
विशेषाधिकारी शास्त्र

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी इतिहास व नागरिकशास्त्र

श्री रविकिरण जाधव
विशेषाधिकारी भूगोल

भाषांतर संयोजन

डॉ. अलका पोतदार
विशेषाधिकारी हिंदी

संयोजन सहायक

सौ. संध्या विनय उपासनी
सहायक विशेषाधिकारी हिंदी

भाषांतरकार : श्री शालिग्राम तिवारी, कु. मंजुला त्रिपाठी
समीक्षक : प्रा. शशि निघोजकर, सौ. वृंदा कुलकर्णी

विशेषज्ञ : श्री प्रकाश बोकील, श्रीमती पूर्णिमा पांडेय, श्री हरीश कुमार खत्री, श्रीमती हेमलता महाजन

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे
मुख्य निर्मिति अधिकारी

श्री विनोद गावडे
निर्मिति अधिकारी

सौ मिताली शितप
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

श्री विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

'बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – २००९', 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप – २००५' और 'महाराष्ट्र राज्य पाठ्यक्रम प्रारूप २०१०' के अनुसार 'राज्य का प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम – २०१२' तैयार किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत इस पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों की यह नई शृंखला पाठ्यपुस्तक मंडल शैक्षिक वर्ष २०१३–२०१४ से क्रमश: प्रकाशित कर रहा है । इस शृंखला की 'परिसर अध्ययन (भाग – १) चौथी कक्षा' की पाठ्यपुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है ।

अध्ययन – अध्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया बालकेंद्रित होनी चाहिए, कृतिप्रधानता एवं ज्ञानरचनावाद पर बल दिया जाना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा के अंत में विद्यार्थी निर्धारित की गई न्यूनतम क्षमताएँ एवं जीवन कौशल प्राप्त कर सकें, शिक्षण–प्रक्रिया रोचक एवं आनंददायी हो आदि महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस पुस्तक की रचना की गई है । साथ ही पाठ्यक्रम में दर्शाए गए दस केंद्रीय तत्त्वों का अनुसरण करके प्रस्तुत पुस्तक का लेखन किया गया है ।

इस पुस्तक में पर्याप्त संख्या में रंगीन चित्र हैं । चित्रों की भाषा के माध्यम से विषय वस्तु के आकलन एवं ज्ञानरचना को प्रभावकारी बनाने का प्रयत्न किया गया है । इस पुस्तक में 'बताओ तो', 'करके देखो', 'थोड़ा सोचो' – ऐसे शीर्षकों के अंतर्गत कृतियाँ भी दी गई हैं । इससे विद्यार्थियों को पाठ्यांशों के संबोधों एवं संकल्पनाओं का आकलन होने एवं दृढ़ीकरण में मदद मिलेगी । साथ ही यह पुस्तक उन्हें परिवेश के निरीक्षण के लिए प्रेरणा एवं योग्यता प्रदान करेगी । समय के अनुरूप और विषय वस्तु से सुसंगत जीवन मूल्यों को भी विद्यार्थियों में निरूपित करने का प्रयत्न किया गया है ।

पाठ्यांश के संबोधों का पुनरावर्तन हो, उनका स्थिरीकरण हो, स्वयं अध्ययन को प्रेरणा मिले – इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वाध्यायों में भी विविधता लाई गई है । स्वाध्यायों का स्वरूप रोचकता से समृद्ध है । इस पुस्तक की रचना करते समय इस बात पर भी विचार किया गया है कि शिक्षक भी विद्यार्थियों का सातत्यपूर्ण, सर्वव्यापी मूल्यमापन कर सकें ।

इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थी अपने प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को पहचानेंगे । परिसर की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण निर्मल हो, उनमें समस्याओं के निराकरण और अनुप्रयोग के कौशलों का विकास हो, ऐसा प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक की भाषा विद्यर्थियों के आयुवर्ग के अनुकूल है । विषयों का विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र के रूप में विभाजन न करते हुए सभी विषयों का विन्यास अंतर्ज्ञान शाखा की दृष्टि से किया गया है । इससे किसी प्रश्न तथा विषय के अनेक आयामों को एक ही साथ सीखने की दृष्टि विकसित होगी । महाराष्ट्र के सभी विद्यार्थियों के अनुभव जगत को ध्यान में रखकर परिसर अध्ययन (भाग – १) की यह पाठ्यपुस्तक तैयार करने का प्रयत्न पाठ्यपुस्तक मंडल ने किया है । इस पुस्तक को अधिक से अधिक निर्दोष एवं स्तरीय बनाने की दृष्टि से महाराष्ट्र के सभी भागों से चुने हुए शिक्षकों, शिक्षातज्ञों, विषयतज्ञों तथा पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों से इस पुस्तक की समीक्षा कराई गई है । प्राप्त सूचनाओं तथा सुझावों पर यथोचित विचार करके विषय समितियों द्वारा इस पुस्तक को अंतिम स्वरूप दिया गया है।

मंडल की विज्ञान, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र विषयों की समितियों के सदस्यों, कार्यगट के सदस्यों, गुणवत्ता परीक्षक तथा चित्रकार के आस्थापूर्ण परिश्रम से यह पुस्तक तैयार हुई है । मंडल इन सभी का हृदय से आभारी है । आशा है कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक इस पुस्तक का स्वागत करेंगे ।

(चं.रा.बोरकर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

पुणे :
दिनांक : २ मई २०१४, अक्षय तृतीया

शास्त्र विषय कार्यगट सदस्य : • श्रीमती सुचेता फडके • श्री वि. ज्ञा. लाळे • श्रीमती संध्या लहरे • श्री शैलेश गंधे • श्री अभययावलकर • श्री राजाभाऊ ढेपे • डॉ. शमीन पडळकर • श्री विनोद टेंबे • डॉ. जयसिंगराव देशमुख • डॉ. ललित क्षीरसागर • डॉ. जयश्री रामदास • डॉ. मानसी राजाध्यक्ष • श्री सदाशिव शिंदे • श्री बाबा सुतार • श्री अरविंद गुप्ता

भूगोल विषय कार्यगट सदस्य : • श्री भाईदास सोमवंशी • श्री विकास झाडे • श्री टिकाराम संग्रामे • श्री गजानन सूर्यवंशी • श्री पद्माकर प्रल्हादराव कुलकर्णी • श्री समनसिंग भिल • श्री विशाल आंधळकर • श्रीमती रफत सैय्यद • श्री गजानन मानकर • श्री विलास जामधडे • श्री गौरीशकर खोबरे • श्री पुडलिक नलावडे • श्री प्रकाश शिंदे • श्री सुनील मोरे • श्रीमती अपर्णा फडके • डॉ. श्रीकृष्ण गायकवाड • श्री अभिजित दोड • डॉ. विजय भगत • श्रीमती रंजना शिंदे • डॉ. स्मिता गांधी

नागरिकशास्त्र विषय कार्यगट सदस्य : • डॉ. चित्रा रेडकर • प्रा. साधना कुलकर्णी • डॉ. श्रीकांत परांजपे • डॉ. बाळ कांबळे • प्रा. फकरूद्दीन बेन्नूर • प्रा. नागेश कदम • श्री मधुकर नरडे • श्री विजयचंद्र थत्ते

चौथी कक्षा : परिसर अभ्यास भाग–१

अध्ययन के लिए सुझाई हुई शैक्षणिक प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
सभी विद्यार्थियों को अनुभवों का अवसर गुट/जोड़ी–जोड़ी से व्यक्तिगत रूप से देकर उन्हें निम्न बातों के लिए प्रेरित करना – • आसपास के परिवश का निरीक्षण करना और खोजना जैसे - घर/विद्यालय, पड़ोसी, विविध साधारण निरीक्षणक्षम वस्तु/फूल/वनस्पति/प्राणी पक्षी इनकी बाह्य विशेषताएँ/विविधता, दृश्य स्वरूप, हलचल, निवास का स्थान, खाद्यान्न, जरूरतें, घोंसले बनाने की सहज प्रवृत्ति, समूह में बर्ताव आदि । • परिवार के वरिष्ठ (जेष्ठ/सदस्यों से चर्चा करना और प्रश्न पूछना) जैसे - परिवार के कुछ लोग एक साथ रहते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ दूर रहते हैं, यह समझकर दूर रहने वाले रिश्तेदार, स्नेही इनसे संभाषण कर, उनके घर, यातायात के साधन और उनके स्थान, लोक-जीवन इस विषय में जानकारी हासिल करना । • विविध स्थानों को भेंट देना जैसे - पाकगृह; घर का रसोईगृह, बाजार, वस्तु संग्रहालय, वन्यजीव अभयारण्य, खेत, जल का प्राकृतिक स्रोत, बाँध निर्माण कार्य, स्थानिक उद्योग, दूर के रिश्तेदार, मित्र, चित्र, कालीन, हस्तकला आदि बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान । • सब्जी विक्रेता (कुंजड़ा), फूल बेचने वाला, मधुमक्खी पालन करने वाला, बागवानी करने वाला, किसान वाहन-चालक, स्वास्थ्य अधिकारी और संरक्षण अधिकारी आदि लोगों से आदान-प्रदान कर, उनके कार्यों, उनके कौशल, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले साधन जान लेना । • समय के अनुसार परिवार में हुए परिवर्तन, परिवार के विविध सदस्यों की भूमिका, साँचाबद्धता/भेदभाव, घर/विद्यालय, पड़ोसियों, प्राणियों, पक्षियों, वृक्षों के साथ किए गए अन्यायकारी व्यवहारों के विषय में बुर्जुगों के अनुभव एवं दृष्टिकोण समझ लेना । • निडरता या बिना झिझकते अनुभवों के आधार पर प्रश्न तैयार करना और मनन करना । • चित्र/ प्रतीक चिह्न/रेखाटन, अभिनय, बातों से और सरल भाषा में वाक्य और परिच्छेद लिखकर स्वयं अनुभव लेना । • निरीक्षणक्षम विशेषताओं में से समानता एवं अंतर के आधार पर बातें/वस्तुओं की तुलना और वर्गीकरण करना ।	**विद्यार्थी–** 04.95A.01 आसपास परिवेश में पाए जाने वाले फूलों, जड़ों तथा फलों के आकार, रंग, गंध, वे कैसे वृद्धि करते हैं तथा उनके सामान्य लक्षण क्या हैं – जानते और पहचानते हैं। पशु-पक्षियों की विभिन्न विशिष्टताओं जैसे – चोंच, दाँत, पंजे, कान, रोम, घोंसला, रहने के स्थान आदि को पहचानते हैं । 04.95A.02 विस्तारित कुटुंब में अपने तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी रिश्तों को पहचानते हैं । 04.95A.03 प्राणियों का समूह और समूह के अंतर्गत व्यवहार (जैसे - चीटियाँ, मधुमक्खी, हाथी, पक्षियों का व्यवहार) स्पष्ट करते हैं, पारिवारिक बदलाव (जैसे - जन्म, विवाह, तबादला आदि के कारण परिवर्तन) स्पष्ट करते हैं । 04.95A.04 दैनिक जीवन के विभिन्न कौशलयुक्त कार्यों जैसे– खेती, भवन निर्माण, कला/शिल्प आदि का वर्णन करते हैं तथा पूर्वजों से मिली विरासत एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका की वर्णन करते हैं । 04.95A.05 स्रोत से लेकर घर तक जीवनावश्यक वस्तुओं की निर्मिति और प्राप्ति प्रक्रिया स्पष्ट करते हैं । (जैसे - अन्न, जल, वस्त्र) 04.95A.06 अतीत और वर्तमान की वस्तुओं तथा गतिविधियों में अंतर करते हैं । उदाहरण के लिए परिवहन, मुद्रा, आवास, पदार्थ, उपकरण, खेती और भवन-निर्माण के कौशल आदि । 04.95A.07 प्राणी, पक्षी, वनस्पति, वस्तु, अनुपयोगी पदार्थ, सामग्री इनका गुट तैयार करना । (जैसा - दृश्य स्वरूप, गुण विशेष, उपयोग आदि ।) 04.95A.08 प्रमाणित और स्थानीय इकाइयों में (किलो, गज, पाव आदि) गुणधर्म आदि का अंदाजा लगाते हैं, अंतरिक्षीय राशियों का (लंबाई, वजन, समय, कालांश आदि) अंदाजा लगाकर और सामान्य साधनों का उपयोग कर सत्यता जाँचते हैं ।

- माता-पिता / अभिभावक / दादी-दादा, पड़ोस के बुजुर्गों से चर्चा करना और उनके जीवन के भूतकालीन और वर्तमान दैनिक उपयोगी वस्तुएँ जैसे - कपड़े, बर्तन, कामों का स्वरूप, खेल की तुलना करना, विशेष जरूरतमंद बालकों का समावेश करना ।
- अपने परिसर के वृक्षों के झड़े पत्ते, फूल, जड़े, मसाले, बीज, दलहन, पंखों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के लेख, विज्ञापन, चित्र, सिक्के, टिकट इन वस्तुओं और पदार्थों को इकट्ठा कर इनकी नए तरीके से रचना करना ।
- अपनी क्षमताओं के अनुसार विविध ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर निरीक्षण करना / सूँघना / चखना / स्पर्श करना / सुनना इनके लिए सरल और आसान उपक्रम और प्रात्यक्षिक करना । जैसे - पानी में दूसरे पदार्थों की घुलनशीलता जाँचना, नमक और शक्कर पानी में से अलग करना, गीले कपड़े सूखने के लिए कितना समय लेते हैं ? (कमरे में, सूरज की रोशनी में, लपेट कर, फैलाकर, पंखे का इस्तेमाल कर / न कर) वैसे ही गरम हवा के झोंके, ठंडी हवा के झोंके का प्रयोग करके ।
- दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं/प्रसंगों, परिस्थिति के जैसे - फूल, जड़ें कैसे बढ़ती हैं, वजन, उठना (कप्पी इस्तेमाल कर/कप्पी के बिना इस्तेमाल कर) इनका निरीक्षण कर अनुभवों को उभयनिष्ठ (सामायिक) करना, सरल प्रात्यक्षिक और कृतियों से अलग-अलग मार्गों का इस्तेमाल कर निरीक्षण/जाँच पड़ताल करना/उनकी परीक्षा लेना ।
- बस/रेल्वे टिकटों, मुद्राएँ, मानक चित्रों के स्थान निश्चित करने वाली सूचनाएँ तथा दिशादर्शक फलकों का वाचन करना । विविध पदार्थों का इस्तेमाल कर आकृतिबंध, चित्र, प्रतिकृति, कोलाज, विशेष रचना, कविता, कथा, घोषवाक्य की निर्मिति के लिए और ऐन समय के विस्तार के लिए स्थानीय और निरुपयोगी पदार्थ ।
- पदार्थों का इस्तेमाल करना । जैसे - मिट्टी के उपयोग से मटके/बर्तन बनाना, खाली माचीस के डिब्बे, कार्ड बोर्ड जैसे - निरुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर वस्तुएँ बनाना ।
- घर / विद्यालय / समाज में आयोजित किए हुए विविध सांस्कृतिक / राष्ट्रीय पर्यावरण, उत्सव / विविध प्रसंगों में हिस्सा लेना जैसे-प्रातःकालीन या विशेष सभा/प्रदर्शनी/दीवाली/ ओणम / वसुंधरा दिन / ईद आदि । वैसे ही कार्यक्रमों में नृत्य, नाटिका, अभिनय, सर्जनशील लेखन और कृति करना । (जैसे - दीए / रंगोली / पतंग बनाना / इमारतों की प्रतिकृतियाँ, नदियों के ऊपरी पुल की प्रतिकृति बनाना आदि । कथा, कविता, उद्घोषणाएँ, घटनाओं का वृत्तांत कथन, सर्जनशील लेखन अथवा किसी सर्जनशील कृति का प्रस्तुतीकरण करना ।
- पाठ्यपुस्तकों के साथ दूसरे संसाधनों को पढ़ना / खोजना जैसे समाचार पत्रों की कतरनें, श्राव्य सामग्री / कथा कविता चित्र / चित्रफिती / स्पर्श से महसूस होने वाली सामग्री, अंतरजाल / ग्रंथालय, तत्सम अन्य कोई भी सामग्री ।
- कूड़ा-कचरा कम करना और सार्वजनिक संपत्ति का उचित उपयोग और ध्यान रखना वैसे ही विविध प्राणियों, जल प्रदूषण और कूड़ा निर्मिति, स्वास्थ्य, स्वच्छता इस विषय में अभिभावक / शिक्षक/सहपाठी और घर, परिवेश के जेष्ठों से जानकारी लेना, चर्चा करना, चिकित्सक सोच विचार करना और इस विषय पर घर/विद्यालय/पड़ोसी बच्चों से संबंधित परिस्थितियों पर मनन / चिंतन करना ।
- अपने देश के राज्य और राज्य के खाद्यान्न पदार्थों में विविधता के कारणों की खोज करना ।
- पारंपरिक तथा आधुनिक पोशाक में अंतर समझना ।
- मानचित्र में विविध चिह्न, प्रतीक और सूची का प्रयोग करना ।
- राज्य की भाषा, बोली भाषाएँ, पर्व, त्योहारों की जानकारी प्राप्त करना ।

04.95A.09 निरीक्षण / अनुभव / जानकारी की अलग-अलग प्रकारों से अंकन करते हैं और परिसर के विविध घटनाओं का, आकृतिबंध का अनुमान देने के लिए कारण तथा परिणामों के बीच संबंध प्रस्थापित करते हैं । (जैसे बाष्पीभवन, संघनन, शोषण, पिघलना)

04.95A.10 मानचित्र का उपयोग कर वस्तु / स्थानों के प्रतीक चिह्न / स्थान पहचानते हैं तथा पास के प्रतीक चिह्न से विद्यालय /पड़ोस की दिशाओं का मार्गदर्शन करते हैं।

04.95A.11 दिशादर्शक फलक, पोस्टर, मुद्रा, रेलटिकट, समयतालिका की जानकारी का उपयोग करते हैं । मुद्रा नोट, विद्यालय / पड़ोस, प्रवाह तख्ता आदि की प्रतिकृति, रंगोली, भित्तिपत्रक, एल्बम, साधारण मानचित्र (विद्यालय / परिसर) आदि की निर्मिति करते हैं । उसके लिए स्थानीय उपलब्ध / निरुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हैं ।

04.95A.12 परिवार / विद्यालय / पड़ोस इन स्थानों पर निरीक्षण और अनुभव की हुई / समस्याओं पर स्वयं की राय देते हैं । (जैसे साँचाबद्ध रूप / भेदभाव / बाल अधिकार)

04.95A.13 स्वास्थ रक्षा, कूड़ा-कचरा कम करना, उसका फिर से उपयोग करना, उसपर पुनः प्रक्रिया कर उपयोग में लाने के लिए मार्ग सुझाते हैं और विविध सजीव संसाधनों (अन्न, जल और सार्वजनिक संपत्ति) का ध्यान रखते हैं ।

04.95A.14 गुट में एक साथ काम करते समय एक-दूसरे के प्रति आस्था, समानानुभूति और नेतृत्व गुण इन विषयों में अग्रणी रहते हैं और सक्रिय सहभाग लेते हैं । जैसे - अंतर्गृही (Indoor)/ बाहरी (Outdoor) / स्थानीय / समकालीन उपक्रम और खेल वैसे ही वनस्पतियों का ध्यान रखना, पशुपक्षियों को खाना देना आसपास की वस्तुओं / बुजुर्ग / दिव्यांगों के लिए प्रकल्प तैयार करना / भूमिका निभाना ।

04.95A.15 मानचित्र में जिले और राज्य के अनुसार मुख्य खाद्यान्य, फसलें और प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ दिखाते हैं ।

04.95A.16 मानचित्र में प्रतीक चिह्न और सूची उपयोग कर मानचित्र का पठन करते हैं ।

04.95A.17 अपना जिला और राज्य इनकी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों के संदर्भानुसार तुलना करते हैं ।

04.95A.18 भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से वस्त्रों में होने वाली विविधता बताते हैं ।